LS3-2/37/2023-XXXVI-A-3-Law Department

1/22 1966/2024

संख्या : /ई–85343/(1)/xxxviA3/2024

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक: जुलाई, 2024

विषय– जिला बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में कुटुम्ब न्यायालय एवं पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5676/UHC/AdminB/XI-d/2004, दिनांक 12.10.2023 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़** में कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना किये जाने एवं इस निमित्त निम्नानुसार (03 x 06= कुल 18) पदों को दिनांक 28–02–2025 तक, बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

Sl.No.	Nomenclature of Posts	Posts	Pay Scale (Rs.)	Mode of recruitment
01	Stenographer Grade-1 (Personal Assistant)	01 X 06= 06	9300-34800, Grade pay-4600 (revised pay scale 44900-142400, Level-7)	direct recruitment
02	Junior Assistant (tankak-sah-pratilipik)	01 X 06= 06	5200-20200, Grade pay-2000 (revised pay scale 21700-69100, Level-3)	direct recruitment
03	Counsellor	01 X 06= 06	50000 (on monthly fixed honorarium) + 10000 (Travelling Charges)	contract
	Total	18		

3– उक्तानुसार सृजित किये जा रहे पदों के धारकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे। सृजित पदों की निरन्तरता विस्तारित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व प्र0वि0 का होगा।

4– कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार सृजित किये जा रहे कुटुम्ब न्यायालय, जिला बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में सम्बन्धित जनपदों के जिला न्यायाधीश ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में परिवार न्यायालय का कार्य करेंगे तथा उन न्यायालयों में पीठासीन न्यायाधीश को जज परिवार न्यायालय कहा जायेगा।

5– परामर्शदाता के पद हेतु परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा–6 एवं उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियम, 1995 के नियम–26 के अधीन एवं मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) सं0 28 ऑफ 2024 श्रुति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती की जायेगी।

6– प्रत्येक न्यायालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों को जनपद संवर्गानुसार पदस्थापित करते हुए स्टाफिंग पैटर्न का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

7– आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों के नियोजन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के आदेश सं0 111 दिनांकः 27.04.2018 (समय–समय पर यथासंशोधित), सं0 166806 दिनांकः 6.11.2023 एवं कौशल विकास विभाग के आदेश सं0 922 दिनांकः 11.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8– कुटुम्ब न्यायालय, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ के न्यायालय भवन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव नियमानुसार शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–04 के लेखाशीर्षक "2014 –न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –117–पारिवारिक न्यायालय– 04–पारिवारिक न्यायालय अधिष्ठान" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या–I/221830/XXVII(7)/2024, दिनांक 25.06.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Pradeep Pant
Date: 05-07-2024 11:50:03
(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /(1)/xxxviA3/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 न्याय मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
7. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त नवसृजित कुटुम्ब न्यायालय/कार्यालय के नाम को अपने लेखन सामग्री की वितरण सूची में अंकित कर लें तथा लेखन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।
10. कार्मिक अनुभाग/वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़।
12. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Sudhir Kumar Singh
Date: 05-07-2024 12:05:04
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner